संख्या:207/2015/1790जेएल/22-3-15-200(1)/2015

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ अधीक्षक,
सम्पूर्णानन्द शिविर, सितारगंज,
ऊधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनाक: 14 जुलाई, 2015***

विषय- सम्पूर्णानन्द शिविर सितारगंज, ऊधमसिंह नगर में निरूद्ध बंदियों को गृह अवकाश की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-18784/प्रोबेशन-2/2015, दिनांक 02-06-2015 में किये गये प्रस्ताव/संस्तुति के आधार पर सम्पूर्णानन्द शिविर सितारगंज ऊधमसिंह नगर में निरूद्ध 42 (बयालिस) सिद्धदोष बंदियों (सूची संलग्न) को दिए गये दण्डादेश के निलम्बन का प्रपत्र दो प्रतियों में संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त बंदियों को आदेश में उल्लिखित धनराशि का निजी बन्धक (PERSONAL BOND) निर्धारित प्रपत्र पर भराने के पश्चात उन्हें 15 (पन्द्रह) दिनों के लिए घर जाने हेतु गृह अवकाश पर एक साथ मुक्त किया जाय। बंदी को गृह अवकाश पर मुक्त करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि :-

I. बंदी द्वारा सम्पूर्णानन्द शिविर सितारगंज ऊधमसिंह नगर में एक वर्ष की सजा पूर्ण कर ली गयी हो और उसका कार्य एवं आचरण अच्छा हो।

II. यदि कोई बंदी मा0 उच्चतम न्यायालय के सामान्य आदेशों के अन्तर्गत जमानत पर मुक्त किया गया है, उसने अभी कारागार में आत्म समर्पण नहीं किया है तो उसे गृह अवकाश पर मुक्त न किया जाय।

III. यदि बंदी की सजा किसी अन्य प्रदेश में स्थित मा0 न्यायालय से हुयी हो तो उसको गृह अवकाश पर मुक्त न किया जाय।

IV. गृह अवकाश उन्ही बंदियों को स्वीकृत किया जाय जो पैरोल के लिए निर्धारित मानको के अनुसार पात्र हों अर्थात हत्या के मामले में 03 वर्ष एवं डकैती सहित हत्या के मामले में 04 वर्ष की अपरिहार सजा भोगी जा चुकी है।

V. बंदी पूर्व वर्षो में स्वीकृत गृह अवकाश की समाप्ति के उपरान्त समय से निर्धारित तिथि पर कारागार में वापस हाजिर हुआ हो। **---2**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

VI. बंदी के पास रहने के लिए घर हो तथा उसके खाते में श्रम द्वारा अर्जित इतनी धनराशि जमा हो कि गृह अवकाश पर जाने तथा वापस आने के लिए व्यय की जाने वाले धनराशि के पश्चात भी उसके खाते में कम से कम रू0-10.00 शेष रहें।

VII. जिन बंदियों को गृह अवकाश पर मुक्त किया जाएगा उसकी सूचना वरिष्ठ अधीक्षक, सम्पूर्णानन्द शिविर सितारगंज ऊधमसिंह नगर द्वारा सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक को इस अनुरोध के साथ दी जायेगी कि बंदी के गृह अवकाश की अवधि में सम्बन्धित थाने के माध्यम से नियमित निगरानी एवं अवकाश अवधि के समाप्ति के पश्चात उनकी समय से कारागार में वापसी सुनिश्चित करें।

2- उपरोक्त प्रतिबन्धों के अनुसार जो बंदी गृह अवकाश के लिए अर्ह न हो, उनके गृह अवकाश स्वीकृति के आदेश शासन को तुरन्त वापस कर दिए जाय।

3- उपरोक्त बंदियों को शासनादेश की एक प्रति उसके प्रस्तर-2 में अवकाश की अवधि की तिथियों को भरने के पश्चात दे दें।

4- कृपया इस आदेश की प्राप्ति तुरन्त स्वीकार करें तथा इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या:207/2015/1790जेएल(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि संलग्नक की प्रति सहित महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या-18784/प्रोबेशन-2/2015, दिनांक 02-06-2015 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या:207/2015/1790जेएल/22-3-15-200(1)/2015, दिनांक: 14 जुलाई, 2015 की संलग्नक सूची

क्र0स0	बंदी एवं उसके पिता का नाम	जनपद का नाम	बंदी संख्या
1	देवी दयाल पुत्र श्री गंगादीन	खीरी	15091
2	बाली पुत्र श्री जालम	ललितपुर	15111
3	राकेश पुत्र श्री लीलाधर	बुलन्दशहर	15179
4	थान सिंह पुत्र श्री रामप्रसाद	मुरादाबाद	16208
5	लल्ला सिंह पुत्र श्री बांके सिंह	शाहजहाँपुर	16379
6	अशोक कुमार उर्फ खरगोश पुत्र श्री ज्योतिप्रसाद भट्ट	हरिद्वार	16230
7	मो0 हनीफ पुत्र श्री शकूर	रामपुर	16034
8	कृपाल सिंह पुत्र कल्लू सिंह	मुरादाबाद	16366
9	अशोक कुमार पुत्र श्री करन सिंह	जे0पी0नगर	15717
10	बाबू सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह	शाहजहाँपुर	15512
11	रन्जीत पुत्र श्री अयोध्या	कानपुर देहात	16135
12	राजेन्द्र पुत्र श्री सुमेरी	मुरादाबाद	16199
13	श्योराज पुत्र श्री नन्द राम	बुलन्दशहर	15714
14	राम मोहन पुत्र श्री सुखदेव सिंह	बाँदा	15961
15	अतर सिंह पुत्र श्री राजाराम	कासगंज	16381
16	नेवा उर्फ मेवा पुत्र श्री मोती	ललितपुर	15240
17	शिव कुमार उर्फ भैयन पुत्र श्री रामरतन	उन्नाव	15355
18	मुन्ना खाँ पुत्र श्री मानू खाँ	बिजनौर	15498
19	प्रेमपाल पुत्र श्री बृजपाल सिंह	शाहजहाँपुर	15520
20	जगमोहन पुत्र श्री रामभजन	खीरी	15522
21	आनन्द गिरी पुत्र श्री करतार गिरी	मुजफ्फरनगर	15530
22	योगेन्द्र पुत्र श्री सत्यवीर	मुजफ्फरनगर	15632
23	सुरेन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री द्वारिका	जालौन	15590
24	इन्द्रवीर पुत्र श्री चौहल	मुजफ्फरनगर	15613
25	ऋषिपाल पुत्र श्री कालू	मुजफ्फरनगर	15615
26	विनोद उर्फ गुड्डु पुत्र श्री लड्डु गोपाल	मथुरा	15616
27	विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री लाखन सिंह	हाथरस	15617
28	रामवीर पुत्र श्री जिले सिंह	मेरठ	15518
29	हरेन्द्र सिंह पुत्र श्री महावीर	मेरठ	15522
30	श्याम सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह	मुजफ्फरनगर	15624
31	रणधीर पुत्र श्री बलजीत	मुजफ्फरनगर	15626
32	सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री बलजीत	मुजफ्फरनगर	15627
33	नसीम पुत्र श्री दीनमुहम्मद	मुजफ्फरनगर	15628
34	गोपी पुत्र श्री हीरा	कुशीनगर	15636
35	ओमवीर पुत्र श्री इन्दर	मुजफ्फरनगर	15716

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

36	रामप्रताप उर्फ बडेला पुत्र श्री मेघ सिंह	हाथरस	15748
37	सत्येन्द्र सिंह पुत्र श्री रिसाल सिंह	मुजफ्फनगर	15750
38	प्रकाश पुत्र श्री लखन	ललितपुर	15755
39	रामकिशन पुत्र श्री जिलेसिंह	मेरठ	15796
40	अरशद पुत्र श्री खालकदाद	गाजियाबाद	15797
41	अमरेश उर्फ कल्लन पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह	हरदोई	15809
42	रामबाबू पुत्र श्री महादेव	हरदोई	15818

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।